जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर–प्रथम

(ए.डी.आर. सेन्टर, बी–610, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर)

फोन:– 0141–2247150 ईमेल: dlsa17jaipurmetro@gmail.com

क्रमांक:– 70 दिनांक :– 12/02/25

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ2 ()/ रालसा/ डीएस–प्रथम/ 26255 दिनांक 16.09.2019, एफ 2 (37)/ पीएलवी स्कीम/ DS-I/ 12865–66 दिनांक 06.08.2021, Scheme for Paralegal Volunteer(Revised) & NALSA (legal services clinics in universities law colleges and other institutions) Scheme 2013 के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र एवं अधीनस्थ विधिक सेवा केन्द्रों पर सामुदायिक अधिकार मित्र (पैरालीगल वॉलियन्टर) के रूप में कार्य करने एवं विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार पैरालीगल वॉलियन्टर का चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किए जाते हैं :–

क्र सं	स्थान	सामुदायिक अधिकार मित्र (पैरालीगल वॉलियन्टर) की संख्या
1–	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर–प्रथम के कार्यक्षेत्र (बस्सी, सांगानेर, चाकसू सहित) हेतु ।	16

1. शैक्षणिक योग्यता : आवेदक को केन्द्र अथवा राज्य सरकार से अनुमोदित शिक्षा बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए । अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने की अच्छी एवं व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए । अभ्यर्थी को पत्र–व्यवहार का भी समुचित ज्ञान होना चाहिए ।

2. आवेदन पत्र : इस पद हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाईन https://forms.gle/hXGW3QfprGiGxFrH8 लिंक पर जाकर निर्धारित प्रारूप में ही ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा । व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा, जरिये ईमेल, अन्य प्रारूप या अधूरे प्रारूप में प्रेषित आवेदन पत्र को सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

3. चयन की प्रक्रिया: प्राप्त आवेदन–पत्रों की जाँच कर सही आवेदन पत्रों को साक्षात्कार हेतु सम्मिलित किया जावेगा जिसके पश्चात आवेदको का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा । साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को आमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाएगा । साक्षात्कार में सफल सभी अभ्यर्थियों को सभी प्रशिक्षण दिवस पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा । सभी प्रशिक्षण दिवसों पर उपस्थित अभ्यर्थीगण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर–प्रथम के पैनल में सम्मिलित किया जावेगा ।

4. चरित्र प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र: आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो । ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए । आवेदनकर्ता एक शपथ–पत्र निम्नाकिंत बिन्दुओं के आशय का आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा :–

- कि वह पैरा लीगल वॉलियन्टर योजना में रूचि रखते हुए कार्य करेगा ।
- कि उसे दिवालिया घोषित नहीं किया गया है ।
- कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है ।
- कि उसे किसी अपराध में अभियुक्त नहीं बनाया गया है ।

सचिव
विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर

- कि वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ है एवं अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) का कार्य करने में सक्षम है ।
- कि वह किसी भी राजनैतिक पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं है ।
- कि वह अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) के रूप में अपने पद का दुरूपयोग नहीं करेगा ।

5. **शारीरिक योग्यता** : आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) का काम करने के योग्य होना चाहिए ।

6. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख/ दस्तावेजात प्रस्तुत किये जावें :–

- जन्मतिथि प्रमाण हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति ।
- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रति ।
- दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए ।
- आवेदन पत्र पर स्वयं का पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो।
- जाति प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति ।
- आवेदक द्वारा जिस पंचायत समिति के लिये आवेदन में किया जा रहा है, तो उसे पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव का स्थानीय निवासरत होने का सत्यापन के संबंध में आधार कार्ड/ राशन कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ मूल निवास या अन्य कोई समकक्ष प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति ।
- निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित स्व–प्रमाणित शपथ–पत्र ।
- यदि आवेदक सेवा निवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी वरिष्ठ नागरिक/ एम. एस. डब्ल्यू छात्र/ छात्राएं व अध्यापक, आंगनबाडी कार्यकर्ता/ डॉक्टर/ फिजिशियन/ छात्र/ छात्राएं व विधिक छात्र/ छात्राएं (जब तक वे वकालत के लिए एनरोल न हो)/ गैर राजनीतिक दलों के सदस्य/ सेवाभावी एन.जी. ओं. क्लब्स, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह संबंधित प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति।

7. आवेदन की अंतिम तिथि :–

आवेदन पत्र जरिये ऑनलाईन https://forms.gle/hXGW3QfprGiGxFrH8 लिंक द्वारा दिनांक 15.02.2025 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 25.02.2025 को सायं 05:00 बजे तक ही प्राप्त किये जायेगें । इस तिथि के पश्चात उक्त लिंक निष्क्रीय हो जायेगा । अपूर्ण आवेदन अथवा वांछित प्रमाण–पत्रों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियों अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर–प्रथम
(ए.डी.आर. सेन्टर, बी–610, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर)
फोनः– 0141–2247150 ईमेलः dlsa17jaipurmetro@gmail.com

8. पात्रताः–

पात्र व्यक्ति	अपात्र व्यक्ति
1. सेवारत एवं सेवानिवृत शिक्षक 2. सेवानिवृत राजकीय कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिक 3. एम.एस. डब्ल्यू. छात्र/छात्राऐं एवं शिक्षक 4. आंगन बाडी कार्यकर्ता 5. चिकित्सकगण 6. विधि छात्र/छात्राएं 7. गैर राजनीतिक स्वयं सेवा समूह (एन.जी.ओ.) के सदस्यगण 8. महिला संगठनों के कार्यकर्ता 9. पिछड़े तबको के लिये कार्य कर रहे स्वंय सेवी समूहों के सदस्यगण 10. समाज सेवी व सामाजिक कार्यकर्ता	1. अधिवक्तागण/ विधि व्यवसायी 2. राजनीतिक संगठनों से सकिय रूप से जुडे हुए व्यक्ति 3. राजनीतिक संगठनों से जुडे हुए एन.जी.ओ. के कार्यकर्ता 4. किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध का अभियुक्त हो 5. ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप सें अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) का कार्य करने में असक्षम हो 6. ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तिगत हित किसी भी आधार पर पैरालीगल वोलेन्टीयर स्कीम के हितों को प्रभावित करते हो

अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) का चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शार्ट लिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा । अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) चयन हेतु अनुसूचित जाति/ जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यक आवेदकों के संबंध में भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा व महिलाओं/ ट्रांसजेंडर समुदाय को प्राथमिकता दिये जाने के साथ–साथ स्थानीय पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत अलग–अलग गॉव के निवासी होने की शर्त की पालना करने वाले आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी । यदि स्थानीय निवासी ना मिले तो ही पडौस की पंचायत समिति के निवासी पर विचार किया जायेगा । निवास स्थान का सत्यापन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि के अवलोकन पश्चात किया जायेगा ।

9. भुगतानः–

अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) के रूप में उनका चयन किया जावेगा जो इसे आय का साधन समझकर नहीं आना चाहते । चयन किए जाने वाले व्यक्ति में जरूरतमंदों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए तथा शोषित और वंचित तबके लिए करूणा, सहानुभूति तथा उनकी स्थिति बेहतर करने का संकल्प होना चाहिए । अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदेय (Honorarium) राशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का वेतन (salary), प्रोत्साहन राशि (remunarion) अथवा मजदूरी (wages) देय नहीं होगी।

10. अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) के मुख्यतः निम्नाकिंत कार्य करेगें:–

- विधिक सेवा केन्द्र पर निर्धारित दिवस पर निर्धारित समय अवधि में उपस्थित रहेगा।
- पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स अपने संपर्क में आने वाले लोगों को विधिक सेवा संस्थाओं एवं विधिक सेवा कार्यो की विस्तृत जानकारी देगा, इनका प्रचार करने में कोई कसर नहीं रखेगा।

सचिव
विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जयपुर महानगर–प्रथम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर–प्रथम
(ए.डी.आर. सेन्टर, बी–610, शिव मार्ग, बनीपार्क, जयपुर)
फोनः– 0141–2247150 ईमेलः dlsa17jaipurmetro@gmail.com

- केन्द्र पर आने वाले लोगों को वैकल्पिक विवाद निस्तारण तकनीक अर्थात लोग अदालत, मध्यस्थता आदि के उपयोग एवं उनके लाभों के बारे में बतायेगा। अधिक जानकारी के लिये पैम्पलेट्स पढने के लिये देगा।
- केन्द्र पर आने वाले प्रत्येक लाभार्थी की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ धैर्यपूर्वक सुनेगा, उसे अपने पास मौजूद अधिकार मित्र (पैरालीगल वोलेन्टीयर) निर्देशिका की सहायता से उचित सलाह देगा। जटिल मामला होने पर उसे स्थानीय वरिष्ठतम न्यायाधीश (ताल्लुका अध्यक्ष) या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के फ्रन्ट ऑफिस में संपर्क करने की सलाह देगा।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं को जागरूकता शिविर के माध्यम से प्रचार–प्रसार ।
- प्रत्येक लाभार्थी को उसकी पात्रता के अनुरूप लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बतायेगा।
- लोक कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन तैयार करने एवं आवश्यक औपचारितायें पूरी करने में लाभार्थियों की मदद करेगा।

(राजेन्द्र बंशीवाल)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर–प्रथम।

क्रमांकः– 574–585 दिनांकः– 12/02/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ /चस्पा हेतु सादर प्रेषित हैः–

1– श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ।
2– नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर–प्रथम/ द्वितीय/ जयपुर जिला ।
3– नोटिस बोर्ड, कलेक्ट्रेट बनीपार्क जयपुर/जिला परिषद जयपुर/मिनी सचिवालय जयपुर ।
4– नोटिस बोर्ड,सिविल न्यायालय चाकसू/बस्सी/सांगानेर ।
5– नोटिस बोर्ड उपखण्ड अधिकारी कार्यालय चाकसू/बस्सी/सांगानेर ।
6– नोटस बोर्ड विभिन्न विधि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय ।
7– नोटिस बोर्ड नगर निगम कार्यालय लालकोठी जयपुर।
8– नोटिस बोर्ड जन सूचना केन्द्र जयपुर ।
9– नोटिस बोर्ड वन स्टॉप क्राइसिस सेन्टर फॉर वीमेन जयपुरिया अस्पताल(अपराजिता सेन्टर) मालवीय नगर जयपुर।
10– नोटिस बोर्ड विभिन्न महिला संगठन जयपुर।
11– नोटिस बोर्ड अध्यक्ष दी बार एसोसियेशन जयपुर महानगर जयपुर।
12– ई–कोर्ट वेबसाईट, जिला एवं सत्र न्यायालय जयपुर माहनगर–प्रथम ।

(राजेन्द्र बंशीवाल)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर महानगर–प्रथम।